न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.

उनवान :– विविध प्रकरण संख्या 847/2018

राहुल शारदा पुत्र श्री रमेश कुमार जाति ब्राह्मण निवासी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. प्रेम सागर पुत्र श्री सत्यास्वामी जाति ब्राह्मण निवासी 2 बी ब्लॉक श्रीगंगानगर।
2. पंजाब एण्ड सिंध बैंक एस.जी.एन गर्ल्स सीनियर सकैण्डरी स्कूल श्रीगंगानगर।

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत।

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री काशीराम रणवा अधिवक्ता	प्रार्थी
2. श्री राजेश गुम्बर	अप्रार्थी संख्या–1

दिनांक :– 17.02.2020

–:: आदेश ::–

संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि वाद में दर्ज तथ्यों को प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग माना जाकर प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के रूप में पढ़ा जावें। चक 9 जैड़ के खाता संख्या 59/53 मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 1 में 0.202 है0, कि.न. 2 में 0.190 है0, कि.न. 3 में 0.063 है0, कि.न. 4/1 में 0.012 है0, कि.न. 4/2 में 0.038 है0, कि.न. 5 में 0.113 है0, कि.न. 6 में 0.152 है0, कि.न. 7 में 0.240 है0, कि.न. 8 ता 25 प्रत्येक सालम कुल 5.564 हैक्टयर भूमि में प्रार्थी का 0.695 हैक्टयर व प्रतिवादी संख्या 1 का 0.696 हैक्टयर व संजय, संजीव, पिसरान श्री विद्यासागर, लतादेवी पत्नी श्री विद्यासागर तीनों का 4.173 हैक्टयर दर्ज कागजात माल है। जमाबन्दी की नकल संलग्न प्रार्थना पत्र है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी का चाचा है और प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 का सग्गा भतीजा है अप्रार्थी प्रेम सागर ने मुरब्बा नम्बर 5 में अपने हिस्से 0.695 हैक्टयर भूमि प्रार्थी को जरिये रजिस्ट्रर्ड गिफ्ट डीड दिनांक 08–01–2008 से गिफ्ट कर कब्जा भूमि दे दिया था और [illegible] गिफ्ट डीड दिनांक 08–01–2008 को बरोबरू गवाहान [illegible] दिया है। प्रार्थी ने इस गिफ्ट को स्वीकार कर लिया था प्रार्थी [illegible] स्वीकृति गिफ्ट डीड के अंत में अंकित कर प्रार्थी ने अपने [illegible] और कब्जा भूमि वादी ने मौका पर प्राप्त कर लिया था और आज प्रार्थी इस गिफ्ट से प्राप्त भूमि व अपनी कुल भूमि 1.391 है0 भूमि पर काबिज है और इस भूमि का खातेदार हो गया है और अप्रार्थी संख्या 1 इस खाता में मुरब्बा नम्बर 5 में किसी भूमि का खातेदार नहीं है और प्रार्थी वादग्रस्त भूमि मुरब्बा नम्बर 5 में 1.391 है0 का खातेदार हो गया है। गिफ्ट डीड की प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न प्रार्थना पत्र है। गिफ्ट डीड दिनांक 08–01–2008 के समय अप्रार्थी संख्या 1 ने वादग्रस्त पर ऋण ले रखा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2021.06.04 10:13:57 IST
Reason: SelfAttested

था इसलिए गिफ्ट डीड इंतकाल नहीं हो सका था अप्रार्थी संख्या 1 इस ऋण को निरन्तर कायम रखता आ रहा है और वादी द्वारा फसल उठाने पर दूबारा दूसरे बैंक विधि विरूद्ध और बिना कब्जा के ऋण लेता आ रहा है और भूमि को रहन मुक्त नहीं होने दे रहा है और इससे भूमि का इंतकाल नहीं होने दे रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 के वादग्रस्त भूमि पर बिना कब्जा के ऋण लेने से भूमि का इंतकाल प्रार्थी के नाम नहीं हो रहा है। इंतकाल एक फिसकल कार्यवाही है और प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से दर्ज 0.696 हैक्टयर भूमि का गिफ्ट डीड के आधार पर खातेदार कृषक है और अप्रार्थी संख्या 1 का इस भूमि से कोई संबंध दिनांक 08–01–2008 के बाद से किसी प्रकार का नहीं है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ने दुभावना पूर्वक लालच के वशीभूत होने से इस भूमि में अपने अधिकारो का बखान करता है। ऐसी सूरत में प्रार्थी यह घोषणा करवाने का हकदार है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी हैं, 'अप्रार्थी संख्या 1 का इस भूमि कोई संबंध नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 के मन में प्रारम्भ से ही दुभावना घर किये हुए है और उक्त भूमि प्रार्थी को गिफ्ट डीड से हस्तांतरित करने के बावजूद इस भूमि पर बिना अधिकार खिलाफ कानून ऋण प्राप्त करता आ रहा है और उस ऋण का अस्तित्व निरंतर कायम रखता आ रहा है अप्रार्थी संख्या 1 ने वादी व परिवार के सदस्यों की दूसरी भूमि में भी अपने हिस्से अधिक भूमि विक्रय कर चुका है और इसी दुभावना से ग्रसित होने से अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि पर ऋण कायम रखता आ रहा है और अब इस भूमि के अप्रार्थी संख्या 1 के नाम का कागजात माल में दर्ज चली आने का गलत व नाजायज लाभ उठाने की दुभावना से इस भूमि को अन्यत्र विक्रय करने की कोशिश मे लग गया है और इस हेतू दलालों से भी सम्पर्क कर लिया है और ग्राहक मिलते ही वादग्रस्त भूमि बिना अधिकार हस्तान्तरित कर देगा। यदि प्रतिवादी संख्या 1 इस भूमि को अन्यत्र हस्तान्तरित कर देता है तो प्रार्थी को नापूरा होने वाला नुकसान होगा व आईन्दा मुकदमे बाजी बढ़ेगी और ऐसी सूरत में प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस आश्य की पाने का अधिकारी है कि वह वादग्रस्त भूमि को अन्यत्र किसी प्रकार से हस्तान्तरित करने व प्रार्थी के कब्जा में किसी प्रकार से हस्तक्षेप करने से व प्रार्थी को इस भूमि से बेदखल करने से निषेध रहे। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित है। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदन पत्र आवेदकगण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 वादग्रस्त कृषि भूमि वाके चक 9 जैड़ के खाता सं. 59/53 के मु.न. 5 के कि.न. 1 ता 25 की 5.564 है0 में प्रार्थी 0.695 + 0.696 है0 कुल 1.391 है0 भूमि मे कब्जा प्रार्थी में कोई हस्तक्षेप करने व इस भूमि को अन्यत्र रहन बैय व अन्य दीगर तरीके से हस्तान्तरण करने से निषेध रहे रिकार्ड व मौका की यथास्थिती बनाये रखे जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर [illegible] जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी [illegible] पर भी अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद कर [illegible] सुनी गई।

विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी [illegible] पर उपलब्ध तथ्यों, अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया है। मूल वाद के निस्तारण में समय लग सकता है एवं वादग्रस्त भूमि के खुर्दबुर्द होने से मूल वाद का कोई औचित्य शेष नहीं रह जायेगा। अतः न्यायिक दृष्टि से मूल वाद के निस्तरण तक वादग्रस्त भूमि पर स्थगन जारी किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2021.06.04 10:13:57 IST
Reason: SelfAttested

काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर चक 9 जैड़ के खाता सं. 59/53 के मु.न. 5 के कि.न. 1 ता 25 की 5.564 हैक्टर में प्रार्थी 0.695 + 0.696 हैक्टर कुल 1.391 हैक्टर भूमि मे कब्जा प्रार्थी में कोई हस्तक्षेप करने व इस भूमि को अन्यत्र रहन बैय व अन्य दीगर तरीके से हस्तान्तरण करने से निषेध रहे रिकार्ड व मौका की यथास्थिती मूल वाद के निस्तारण तक बनाये रखे।

पत्रावली दायरा नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता संलग्न मूल वाद मुकदमा संख्या 138/2018 बअनवान राहुलशारदा बनाम प्रेमसागर रहे।

आदेश आज दिंनाक 17.02.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उमेद सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2021.06.04 10:13:57 IST
Reason: SelfAttested